

I/349766/2021



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE  
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS  
 सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय  
 OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS  
 सीमा शुल्क गृह, विलिंगडन आईलैंड, कोचीन  
 CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009



Website: [www.cochincustoms.gov.in](http://www.cochincustoms.gov.in)  
 E-mail: [cochincustoms@nic.in](mailto:cochincustoms@nic.in)

Control Room: 0484-2666422  
 Fax: 0484-2668468

**कार्यालय आदेश सं. OFFICE ORDER NO.117/2021**

**विषय: ई-ऑफिस प्रणाली का कार्यान्वयन - के संबंध में।**

**Sub: Implementation of e-office application - Reg.**

बोर्ड के उस निर्देश की ओर सभी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें फाइल कार्य करने में ई-ऑफिस के उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह अनिवार्य किया गया है कि, वास्तविक भौतिक फाइल पर काम को मानक रूप में करते जाने के बजाय केवल अपवाद के मामलों में किया जाए। इसलिए, जहाँ तक फाइलों का संबंध है, सभी को वास्तविक फाइल को ई-ऑफिस के रूप में लाने की संभावना का पता लगाने के लिए निर्देशित किया जाता है। साथ ही सभी को उन भौतिक फाइलों को ई-ऑफिस प्रारूप में अनिवार्य रूप से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाता है, जिनका उपयोग कुछ तकनीकी कारणों से तत्काल कार्यों को पूरा करने के लिए भौतिक फाइलों द्वारा किया जाता है।

Attention is drawn to direction from Board that which has stressed on the need for using e-office in carrying out file work. It has been mandated that work on physical file should be a matter of exception than a norm. Therefore, you are directed to explore the possibility of bringing physical file to e-office as far as files are concerned. In addition you are directed to compulsorily move those physical files to e-office format which are being used due to some technical reasons urgent works are done by physical files.

इस संबंध में आदेश दिया जाता है कि बिना **अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त** की अनुमति के भौतिक फाइलें नहीं खोली जाएंगी। इसके किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। इसे आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

In this regard, it is ordered that physical files shall not be opened without the permission of **Additional Commissioner / Joint Commissioner**. Any violation of the same will be viewed seriously. This issues with the approval of Commissioner.

-Sd-

(निधिन लाल ई एस. **Nidhin Lal E S**)  
उप आयुक्त (ई डी आई) **Deputy Commissioner (EDI)**

प्रतिलिपि **Copy to:-**

सीमा शुल्क गृह कोचिन के सभी अनुभाग All Sections in Custom House, Cochin.  
ACC/Airport/PAD/CSD/Container Cell/CEPC, ICTT, Vallarapadam.  
All CFSs.